उत्तर रेलवे
कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक
जगाधरी वर्कशाप

संख्या 974-E/Welfare/Covid-19/ज.व.

दिनांक 04.01.2022

सभी अधिकारीगण,
जगाधरी वर्कशाप ।

सहायक निर्माण प्रबंधक,
कालका वर्कशाप ।

विषय:- कोरोना वायरस (Covid-19) को फैलने से रोकने के संबंध में दिशा निर्देश ।

संदर्भ:- Chief Secy.-cum-Chairperson, Haryana State Executive Committee, Govt. of Haryana, Haryana State Disaster Management Authority L.No. DMC-SPO-2020/14198 dated 01-01-2022.

उपरोक्त सन्दर्भ में हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार सर्वजनिक जगहो पर पुर्ण टीका करण किये हुए व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। अत: इन निर्देशो को निम्न आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है।

1. जिस कर्मचारी को पहली डोज नही लगी है, वह कर्मचारी कार्यालय में ना आये। वह डोज लगवा कर ही कार्यालय में उपस्थित हो। कर्मचारी जब तक पहली डोज नही लगवाता तब तक उस अवधि के लिये या तो अपनी छुटटी ले अन्यथा उसकी अनुपस्थिति मार्क की जायेगी।
2. जिस कर्मचारी पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज अभी लगनी है वह कर्मचारी भी कार्यालय में दूसरी डोज लगवा कर ही उपस्थिति हो। कर्मचारी जब तक दूसरी डोज नही लगवाता तब तक उस अवधि के लिये या तो अपनी छुटटी ले अन्यथा उसकी अनुपस्थिति मार्क की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियो पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज अभी लगनी है, उन्हें कार्यालय में उपस्थिति होने की अनुमति है, लेकिन उन्हें Due date का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। (कोविनशील्ड लाभार्थी पहली डोज से 84 दिनो के बाद दूसरी डोज के लिये पात्र होगे और कोवौक्सीन के मामले में लाभार्भ पहली डोज से 28 दिनो के बाद दूसरी डोज के लिये पात्र होगे)
4. सभी कर्मचारियो के लिए बिना मास्क के वर्कशाप में प्रवेश वर्जित रहेगा। बिना मास्क पाये जाने पर हरियाणा सरकार के निर्देशनुसार कर्मचारी को 500 रूपये जुर्माना किया जायेगा तथा उचित अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
5. बाहरी व्यक्ति व ठेकेदार की लेबर के लिए उपरोक्त 01 से 04 निर्देशो का पालन अनिवार्य होगा।
6. बाहरी व्यक्तियो के प्रवेश से पूर्व RPF उपरोक्त निर्देशो के पालन को सुनिश्चित करे तथा ठेकेदार व ठेकेदार की लेबर के लिये SSE सुनिश्चित करें।
7. संबंधित अधिकारी उक्त निर्देशो की पालना हेतु समय समय पर surprise Checking करते रहे।

04/1/2022
कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक
उ0 रे0, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सभी वरि0 खण्ड अभि0 एवं सभी मुख्य कार्यालय अधी0 -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप
2. सचिव एनआरएमयू (यांत्रक एवं विधुत शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
3. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
4. सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
5. रेलवे सुरक्षा बल, जगाधरी वर्कशाप ।

Scanned with CamScanner